FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला–भीलवाड़ा

अनवान

सुआमोटो रास्ता बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा

किस्म मुकदमा प्रार्थनापत्र धारा 131, 132 एल.आरए व नियम 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर

प्र0सं0 08 / 2020 प्रा0पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.10.2020	सुआमोटो प्रकरण जिस पर तहसीलदार करेड़ा ने अपने पत्रांक राजस्व / 2020 / 805 दिनांक 25.08.2020 द्वारा ग्राम चानसेन पटवार हल्का कीड़िमाल तहसील करेड़ा के बिलानाम आ.नं.236 रकबा 0.05 बीघा किस्म गै.मु.मंगरी भूमि को ग्राम धोली मगरी से होते हुए कटार (आसीन्द) को जोड़ने वाली डामर सड़क तक का रास्ता जो मौके पर चालु है जिसके समर्थन में सम्बत् 2070 से 2073 की नकल जमाबन्दी नकल नक्शा ट्रेस, मौका रिपोर्ट पटवार हल्का कीडिमाल के तहसीलदार करेड़ा द्वारा पत्रादि मय अभिशंषा के प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 05.10.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा	
05.10.2020	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे सुआमोटो प्रार्थना पत्र पर तहसीदार की रिपोर्ट / अभिशंषा उचित प्रतीत होती है। अतः सुआमोटो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। **:: आदेश ::** अतः तहसीलदार करेड़ा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम चानसेन पटवार हल्का कीड़िमाल तहसील करेड़ा के बिलानाम आ0 नं0 236 रकबा 0.05 बीघा किस्म गै.मु.मंगरी भूमि को ग्राम धोली मंगरी से होते हुए कटार (आसीन्द) को जोड़ने वाली डामर सड़क तक का रास्ता जो मौके [illegible] रिकार्ड एवं राजस्व नक्शें में संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट [illegible] वर्णितानुसार कर अमल दरामद की कार्यवाही [illegible] न्यायालय में पेश करे। मिसल फैसल शुमार [illegible] (महीपाल सिंह) उप[illegible]ण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.04.01 18:43:39 IST
Reason: SelfAttested